न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 180–पीबीआर/2013 विरूद्ध आदेश दिनांक 29–12–2012 पारित द्वारा तहसीलदार तहसील घट्टिया जिला उज्जैन, प्रकरण कमांक 9/अ–6/2012–13

विकास उर्फ विक्की यादव पिता स्व0श्री जगदीश यादव
निवासी तेलीवाड़ा जिला उज्जैन

.....आवेदक

विरूद्ध

सांई प्रसाद फूड्स लिमिटेड द्वारा ब्रांच मैनेजर अंकुल चंदेल
पिता श्री प्रभावसिंह चंदेल
201 सनशाईन टॉवर, फ्रीगंज जिला उज्जैन

.....अनावेदक

श्री दिवाकर दीक्षित, अभिभाषक, आवेदक
श्री धर्मेद्र चतुर्वेदी, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 11/8/16 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार तहसील घट्टिया जिला उज्जैन के द्वारा पारित आदेश दिनांक 29–12–2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक की ओर से संहिता की धारा 115–116 के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र के आधार पर तहसील न्यायालय में प्रकरण प्रचलित होकर अपर आयुक्त के समक्ष तक द्वितीय अपील प्रचलित होने और द्वितीय अपील में अपर आयुक्त दिनांक 17–9–2012 को आदेश पारित कर तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेश निरस्त किये जाकर प्रकरण तहसीलदार को उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर देते हुये विधिनुसार आदेश पारित करने हेतु प्रत्यावर्तित किया गया । अपर आयुक्त

द्वारा आदेश पारित करने के उपरांत अनावेदक द्वारा तहसीलदार के समक्ष संहिता की धारा 32 के अन्तर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि अपर आयुक्त द्वारा आदेश पारित कर तहसील न्यायालय एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेश निरस्त कर दिये गये हैं, अतः प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में पूर्व की स्थिति कायम की जाये । तद्नुसार उपरोक्त आवेदन पत्र के आधार पर तहसीलदार द्वारा प्रकरण क्रमांक 9/अ–6/12–13 दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गई । कार्यवाही के दौरान आवेदक को साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु अंतिम अवसर दिया जाकर दिनांक 29–12–2012 की तिथि नियत की गई । उक्त दिनांक को आवेदक द्वारा पुनः समय चाहे जाने पर तहसीलदार द्वारा अंतरिम आदेश पारित कर अपर आयुक्त के आदेश के अमल हेतु पटवारी को पत्र जारी करने के निर्देश दिये जाकर आवेदक को अंतिम अवसर दिया गया । तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निगरानी मेमों के आधार पर प्रकरण का निराकरण किये जाने का अनुरोध किया गया । आवेदक की ओर से निगरानी मेमों में मुख्य रूप से आधार उठाया गया है कि अंकुल चन्देल को अनावेदक कंपनी की ओर से आवेदन पत्र प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं था और कंपनी द्वारा उसे अधिकृत नहीं किया गया है । यह भी आधार लिया गया कि तहसीलदार द्वारा अवधि विधान की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र का निराकरण नहीं किया गया है । तर्क में यह भी आधार लिया गया कि अपर आयुक्त द्वारा अधिनियम की धारा 49(3) में हुये संशोधन को बिना विचार क्षेत्र में लिये प्रकरण प्रत्यावर्तित करने में अवैधानिकता की गई है । अंत में आधार लिया गया है कि तहसील न्यायालय द्वारा आवेदक को सुनवाई एवं पक्ष समर्थन का अवसर नहीं दिया गया है।

4/ अनावेदक के विद्वान अधिवक्ता की ओर से अभिलेख के आधार पर प्रकरण का निराकरण किये जाने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार के प्रश्नाधीन आदेश में कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है । पक्षकारों को अंतिम निर्णय कराने के लिये सहयोग करना चाहिये, जो उभयपक्ष द्वारा नहीं किया जाकर प्रकरण को लंबित रखने का

प्रयास किया जा रहा है । अतः तहसीलदार द्वारा की जा रही कार्यवाही विधिसंगत एवं न्यायोचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार, तहसील घट्टिया, जिला उज्जैन के द्वारा पारित आदेश दिनांक 29–12–2012 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर